प्रकरण संख्या 50/2016 धारजी व अन्य बनाम मानजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 483, 485, 493, 497 कुल किता 4 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम कटुम्बी में स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 9 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 14 का 1/4 हिस्सा होकर पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। आराजी नंबर 485 पर वादी संख्या 1 व 2 का पक्का मकान बना हुआ है तथा वादी हकरा पिता भाणजी का रद्दे का मकान स्थित है। आराजी नंबर 493 में वादीगण का कुंआ स्थित होकर वृक्ष लगे हुए हैं। विवादित सभी आराजियात पर वादीगण अपने हक एवं हिस्से अनुसार 60-70 वर्षो से काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादीगण के पिता बड़े भाई होने एवं वादीगण के पिता छोटे भाई होने से भूमि राजस्व रेकार्ड में अकेले बड़े भाई के नाम दर्ज हो गयी तथा छोटे भाई का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हुआ, जिससे प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का प्रतिवादीगण के साथ खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2016 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05.09.2016 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से वकील राजकुमार जैन उपस्थित है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 से 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का उचित विवेचन नहीं किया है। प्रकरण वादीगण/अपीलान्टगण की अंतिम बहस हेतु दिनांक 15.07.2016 को नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्टगण को सुने राज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:34:34 IST
Reason: SelfAttested

कैम्प में निर्णय पारित कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नहीं थी। अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 के पूर्वज कालिया पिता थावरा मूल पुरूष थे तथा देवजी पिता करमा कालिया का काका था, जो लाऔलाद फोत हो गया तथा उसका सभी किया कर्म कालिया ने किया। मौके पर अपीलान्टगण रेस्पोन्डेन्टगण के साथ काबिज होकर काश्त कर रहे हैं एंव दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पैत्रृक होना साबित है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया एवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के दिनांक 21.05.2016 अनुसार प्रकरण वादीगण की बहस हेतु दिनांक 15.07.2016 को नियत किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण की बिना बहस सुने उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 13.07.2016 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:34 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर